मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 240] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 1 अप्रैल 2010—चैत्र 11, शक 1932

सामाजिक न्याय विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्र. एफ-3-45-09-छब्बीस-2.—मध्यप्रदेश राज्य में, नशाबंदी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवियों/स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश ''विवेकानन्द नशामुक्ति पुरस्कार'' नियम, 2010 है.

(2) ये नियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में सरकार द्वारा निर्दिष्ट तारीख से प्रभावशील होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—(अ) ''निर्णायक मंडल'' से अभिप्रेत है नियम 4 के अधीन गठित निर्णायक मंडल;

(ब) ''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग;

(स) ''कलक्टर'' से अभिप्रेत है जिले का कलक्टर.

3. **पुरस्कार का स्वरूप.**—(1) **राज्य स्तरीय पुरस्कार**—मध्यप्रदेश शासन द्वारा राज्य स्तर पर चार ''विवेकानन्द नशामुक्ति पुरस्कार'' प्रदान किए जाएंगे. जिनके अंतर्गत 25 हजार रुपए तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे. उक्त पुरस्कार प्रतिवर्ष, राज्य स्तर पर, 2 अक्टूबर अर्थात् ''गांधी जयंती'' पर आयोजित मद्यनिषेध सप्ताह के अवसर पर प्रदान किए जाएंगे. राज्य स्तरीय पुरस्कार राज्य स्तर पर नशाबंदी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवियों/स्वैच्छिक संगठनों को प्रतिवर्ष राज्य सरकार द्वारा, निर्णायक मंडल द्वारा चयन करने पर दिए जाएंगे.

(2) **जिला स्तरीय पुरस्कार.**—मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिला स्तर पर तीन ''विवेकानन्द नशामुक्ति पुरस्कार'' प्रदान किए जाएंगे, जिनके अंतर्गत 10 हजार रुपए तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे. उक्त पुरस्कार प्रतिवर्ष, जिला स्तर पर, 2 अक्टूबर अर्थात् ''गांधी जयंती'' पर आयोजित मद्यनिषेध सप्ताह के अवसर पर प्रदान किए जाएंगे. जिला पुरस्कार जिला स्तर पर नशाबंदी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों/समाज सेवियों/स्वैच्छिक संगठनों को प्रतिवर्ष निर्णायक मंडल द्वारा चयन करने पर दिए जाएंगे.

4. **निर्णायक मंडल का गठन.**—(1) **राज्य स्तरीय निर्णायक मंडल.**—राज्य सरकार, समाज कल्याण के विभिन्न कार्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों में से प्रतिष्ठित समाज सेवी, प्रशासक अथवा अन्य नागरिकों में से कम से कम तीन और अधिक से अधिक पांच सदस्यों को मिलाकर राज्य स्तर पर एक निर्णायक मंडल का गठन करेगी. प्रमुख सचिव/सचिव सामाजिक न्याय विभाग निर्णायक मण्डल के पदेन अध्यक्ष होंगे तथा आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग पदेन सदस्य सचिव होंगे.

प्रत्येक वर्ष के पुरस्कार के लिए पृथक् निर्णायक मंडल गठित किया जावेगा.

(2) **जिला स्तरीय निर्णायक मंडल.**—समाज कल्याण के विभिन्न कार्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों में से प्रतिष्ठित समाजसेवी, प्रशासक अथवा अन्य नागरिकों में से कम से कम तीन और अधिक से अधिक पांच सदस्यों को मिलाकर एक निर्णायक मंडल का गठन जिला स्तर पर किया जाएगा. जिला कलक्टर निर्णायक मंडल के पदेन अध्यक्ष होंगे तथा जिले संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय विभाग सदस्य सचिव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सदस्य एवं दो अशासकीय सदस्य, प्रभारी मंत्री द्वारा नामांकित किए जाएंगे.

प्रत्येक वर्ष के पुरस्कार के लिए पृथक् निर्णायक मंडल गठित किया जावेगा.

5. **निर्णायक मंडल की राज्य एवं जिला स्तर पर शक्तियां.**—(1) निर्णायक मंडल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा.

(2) पुरस्कार के लिये चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जावेगी.

(3) निर्णायक मंडल संबंधित पुरस्कार वर्ष के लिये प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा भी अपने स्वविवेक से ऐसे किसी नाम पर विचार कर सकेगा, जिन्हें वह पुरस्कार के निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप पाता है.

(4) सामान्यत: प्रत्येक वर्ष के पुरस्कार के लिये एक ही समाजसेवी का चयन होगा, किन्तु निर्णायक मंडल, यदि आवश्यक समझे तो, वह एक पुरस्कार के लिये दो या इससे अधिक समाजसेवियों का भी चयन कर सकेगा और तद्नुसार उन्हें पुरस्कार की राशि संयुक्त रूप से प्रदान की जावेगी.

(5) निर्णायक मंडल की बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही गोपनीय रखी जावेगी एवं उसके द्वारा सर्वानुमति से की गई लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जावेगा.

(6) राज्य स्तरीय निर्णायक मंडल के माननीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिये यात्रा किये जाने पर उन्हें प्रथम श्रेणी अधिकारी के समकक्ष रेल यात्रा की श्रेणी में यात्रा करने तथा भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी. निर्णायक मंडल के सदस्यों को वायुयान से यात्रा करने एवं यात्रा भत्ता प्राप्त करने की भी पात्रता होगी.

(7) जिला स्तरीय निर्णायक मंडल के माननीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिये यात्रा किये जाने पर उन्हें प्रथम श्रेणी अधिकारी के समकक्ष रेल/बस से यात्रा करने तथा तद्नुसार भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी.

6. **चयन प्रक्रिया.**—पुरस्कार के लिये उपयुक्त समाजसेवियों के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी, अर्थात् :—

(1) **राज्य स्तर**—जिस वर्ष के लिये पुरस्कार प्रदान किया जाना है, उस वर्ष के लिये प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु आयुक्त, सामाजिक न्याय, मध्यप्रदेश द्वारा माह मई में प्रदेश के प्रमुख प्रादेशिक समाचार पत्र/पत्रिकाओं में राज्य शासन, सामाजिक न्याय विभाग की ओर से विज्ञापन प्रकाशित कराया जावेगा. प्रविष्टियां आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग द्वारा प्राप्त की जावेगी. प्रविष्टियां प्रस्तुत / प्रेषित करने के लिये कम से कम दो माह का समय दिया जावेगा, निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जायेगा, परन्तु विज्ञप्ति जारी करने आदि के समय में राज्य सरकार आवश्यक परिवर्तन कर सकेगी.

(2) **जिला स्तर**—जिस वर्ष के लिये पुरस्कार प्रदान किया जाना है, उस वर्ष के लिये प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु जिला संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय द्वारा माह मई में प्रदेश के प्रमुख प्रादेशिक समाचार पत्र, पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित कराया जावेगा. प्रविष्टियां संबंधित जिला संयुक्त संचालक/उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग द्वारा प्राप्त की जावेगी. प्रविष्टियां प्रस्तुत/प्रेषित करने के लिये कम से कम दो माह का समय दिया जावेगा, निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा, परन्तु विज्ञप्ति जारी करने आदि के समय में जिला कलक्टर आवश्यक परिवर्तन कर सकेगा.

(3) **राज्य एवं जिला स्तरीय पुरस्कार के लिये**—प्रविष्टि समाज सेवी द्वारा स्वयं अथवा उसकी ओर से उनके सेवा कार्य से सुपरिचित व्यक्ति द्वारा अथवा संगठन द्वारा जिला कलक्टर के माध्यम से, राज्य शासन को निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत की जा सकेगी :—

(क) समाज सेवी का पूर्ण परिचय;

(ख) नशामुक्त के क्षेत्रों में उनके द्वारा किये गये सेवा कार्यों की विस्तृत जानकारी;

(ग) उत्कृष्ट सेवा कार्य के विषय में कहीं कोई प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ हो तो उसके विवरण सहित प्रतिवेदन की प्रतिलिपि;

(घ) नशामुक्ति के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र, पत्रिकाओं तथा संस्थाओं द्वारा की गई टिप्पणियों की सत्यापित छाया प्रतिलिपियां;

(ङ) पूर्व में यदि कोई पुरस्कार मिला हो तो उसका विवरण;

(च) चयन होने की दशा में पुरस्कार स्वीकार करने की लिखित सहमति.

(4) चयन के लिये इन नियमों में निर्दिष्ट मापदण्डों के अलावा कोई और शर्तें लागू नहीं होंगी.

(5) एक बार प्रस्तुत की गई प्रविष्टियां उसी वित्तीय वर्ष के लिये विचारणीय होंगी.

(6) एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित समाजसेवी का सेवा कार्य पुरस्कार योग्य नहीं है, निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति करने वाले ऐसे समाजसेवी जिनका पुरस्कार के लिये विचारणीय अवधि में पुरस्कार के लिये चयन नहीं हो सका है, तो वे पश्चात्वर्ती वर्षों में पुनः प्रविष्टि प्रस्तुत कर सकेंगे.

(7) प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चात्वर्ती पत्र-व्यवहार पर पुरस्कार के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा.

(8) प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों, प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का होगा, इस मामले में राज्य सरकार/जिला प्रशासन को किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जावेगा, परन्तु राज्य सरकार को, जहां वह आवश्यक समझे, अपने सूत्रों से दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों प्रमाणों के संबंध में पुष्टि कराने का अधिकार होगा.

(9) निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों को 15 दिन के भीतर संबंधित पुरस्कार वर्ष की पंजी में निम्नलिखित प्रपत्र में पंजीकृत किया जायेगा :—

पंजीयन क्रमांक	समाजसेवी संगठन का नाम तथा पता	प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का नाम एवं पता	प्राप्त कागजातों में कुल पृष्ठों की संख्या	प्रविष्टि प्राप्ति दिनांक	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(10) पंजीयन के पश्चात् राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिये आयुक्त, सामाजिक न्याय, मध्यप्रदेश एवं जिला स्तरीय पुरस्कार के लिये कलक्टर/जिले के उप संचालक, सामाजिक न्याय द्वारा निम्नांकित शीर्षकों में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में निर्णायक मंडल की बैठक के लिये संक्षेपिका अधिकतम एक माह की समयावधि में तैयार कर निर्णायक मंडल को प्रस्तुत की जावेगी :—

(क) समाज सेवी का नाम एवं पता .....

(ख) प्रस्तावक का नाम / संगठन .....

(ग) समाज सेवी का संक्षिप्त परिचय .....

(घ) सेवा कार्य का क्षेत्र .....

(ङ) सेवा कार्य की उपलब्धियां .....

(च) नशामुक्ति क्षेत्र में कार्य की उपलब्धि .....

(छ) रचनाएं/प्रकाशन/आत्मकथा (यदि कोई हो) .....

.....

(ज) पूर्व में प्राप्त पुरस्कार/सम्मान/प्रशंसा प्रमाण-पत्र आदि .....

(झ) पुरस्कार ग्रहण करने की लिखित सहमति .....

7. **चयन के मापदण्ड.**—पुरस्कार के लिये उत्कृष्ठ समाज सेवी के चयन का निम्नलिखित मापदण्ड होगा :—

राज्य स्तर पर.—(1) राज्य पुरस्कार के लिये निर्णायक मंडल द्वारा ऐसे समाज सेवी अथवा समाजसेवियों का चयन किया जावेगा जो राज्य स्तर पर नशामुक्ति के क्षेत्र में कार्यरत हों.

(2) निर्णायक मंडल के अशासकीय सदस्य स्वयं अपने लिये उस वर्ष के पुरस्कार के लिये प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे, जिस वर्ष के पुरस्कार के निर्णायक मंडल में वे सदस्य हैं.

(3) नशामुक्ति के क्षेत्र में इस पुरस्कार के अलावा अन्य कोई पुरस्कार प्राप्त समाजसेवी भी "विवेकानंद नशामुक्ति पुरस्कार" के लिये प्रविष्टि भेजने के पात्र होंगे.

(4) शासकीय एवं अर्द्ध-शासकीय वेतनभोगी व्यक्ति पुरस्कार के लिये पात्र नहीं होंगे.

(5) समाज सेवा कार्य राज्य में निर्दिष्ट नशामुक्ति के क्षेत्र से ही संबंधित होना चाहिए.

(6) पुरस्कार के लिय भूतकालिक एवं वर्तमान दोनों प्रकार के सेवा कार्यों का आंकलन आवश्यक है और सेवा कार्य में समाज सेवी की सक्रियता वर्तमान में भी रहना आवश्यक है अर्थात् सेवा के क्षेत्र में परिणाममूलक निरन्तरता आवश्यक है.

(7) पुरस्कार चूंकि समाज सेवी के समग्र योगदान के आधार पर दिया जावेगा, इसलिये सेवा कार्य में ऐसे व्यक्ति के योगदान के संबंध में पर्याप्त प्रमाण होने चाहिए.

(8) सेवा के क्षेत्र में समाज सेवी के योगदान का संबंधित क्षेत्र/वर्ग में व्यापक प्रभाव परिलक्षित होना चाहिए.

(9) परम्परागत तरीकों से अलग हटकर सेवा के क्षेत्र में नवाचार अर्थात् नई पद्धति/नए क्षेत्र को किस सीमा तक और कितनी सघनता से अपनाया गया है, इस पर भी विचार किया जाएगा.

(10) किसी स्वैच्छिक संगठन से संबद्ध समाज सेवी के नशामुक्ति कार्य को पुरस्कार के लिये विचार में लिया जावेगा, नशामुक्ति कार्य से समाजसेवी सीधे तौर पर जुड़ा होना चाहिए. संगठन की समस्त सेवा उपलब्धियों का समाजसेवी के हित में आंकलन नहीं होगा.

जिला स्तर पर.—(1) पुरस्कार के लिये निर्णायक मंडल द्वारा ऐसे समाज सेवी अथवा समाजसेवियों का चयन किया जावेगा जो संबंधित जिले में नशामुक्ति के क्षेत्र में कार्यरत हों.

(2) निर्णायक मंडल के अशासकीय सदस्य स्वयं अपने लिये उस वर्ष के पुरस्कार के लिये प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे, जिस वर्ष के पुरस्कार के निर्णायक मंडल में वे सदस्य हैं.

(3) नशामुक्ति के क्षेत्र में इस पुरस्कार के अलावा अन्य कोई पुरस्कार प्राप्त समाजसेवी भी ''विवेकानंद नशामुक्ति पुरस्कार'' के लिये प्रविष्टि भेजने के पात्र होंगे.

(4) शासकीय एवं अर्द्ध-शासकीय वेतनभोगी व्यक्ति पुरस्कार के लिये पात्र नहीं होंगे.

(5) समाज सेवा कार्य जिले में निर्दिष्ट नशामुक्ति के क्षेत्र से ही संबंधित होना चाहिए.

(6) पुरस्कार के लिये भूतकालिक एवं वर्तमान दोनों प्रकार के सेवा कार्यों का आंकलन आवश्यक है और सेवा कार्य में समाज सेवी की सक्रियता वर्तमान में भी रहना आवश्यक है अर्थात् सेवा के क्षेत्र में परिणाममूलक निरन्तरता आवश्यक है.

(7) पुरस्कार चूंकि समाज सेवी के समग्र योगदान के आधार पर दिया जावेगा, इसलिये सेवा कार्य में ऐसे व्यक्ति के योगदान के संबंध में पर्याप्त प्रमाण होने चाहिए.

(8) सेवा के क्षेत्र में समाज सेवी के योगदान का संबंधित क्षेत्र/वर्ग में व्यापक प्रभाव परिलक्षित होना चाहिए.

(9) परम्परागत तरीकों से अलग हटकर सेवा के क्षेत्र में नवाचार अर्थात् नई पद्धति/नए क्षेत्र को किस सीमा तक और कितनी सघनता से अपनाया गया है, इस पर भी विचार किया जाएगा.

(10) किसी स्वैच्छिक संगठन से संबद्ध समाज सेवी के नशामुक्ति कार्य को पुरस्कार के लिये विचार में लिया जावेगा, नशामुक्ति कार्य से समाजसेवी सीधे तौर पर जुड़ा होना चाहिए. संगठन की समस्त सेवा उपलब्धियों का समाजसेवी के हित में आंकलन नहीं होगा.

8. **पुरस्कार की घोषणा.**—(1) **राज्य स्तरीय पुरस्कार.**—राज्य निर्णायक मंडल द्वारा जिस समाज सेवी का चयन पुरस्कार के लिये किया जावेगा उनके बारे में शासन से निर्धारित समयावधि में औपचारिक सहमति प्राप्त की जावेगी तथा उनसे सहमति प्राप्त होने के पश्चात् राज्य शासन द्वारा ''विवेकानन्द नशामुक्ति पुरस्कार'' के लिये चयनित समाजसेवी के नामों की औपचारिक घोषणा की जावेगी.

(2) **जिला स्तरीय पुरस्कार.**—जिला निर्णायक मंडल द्वारा जिस ग्राम पंचायत/समाजसेवी/स्वैच्छिक संगठन का चयन किया जावेगा, उनके बारे में जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित समयावधि में शासन से औपचारिक सहमति प्राप्त की जावेगी तथा सहमति प्राप्त होने के पश्चात् जिला प्रशासन द्वारा जिला स्तरीय ''विवेकानन्द नशामुक्ति पुरस्कार'' के लिये चयनित ग्राम पंचायत/समाजसेवी/स्वैच्छिक संगठन के नामों की औपचारिक घोषणा की जावेगी.

9. **अलंकरण समारोह.**—(1) **राज्य स्तरीय पुरस्कार.**—राज्य स्तरीय पुरस्कार अलंकरण समारोह प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर अर्थात् गांधी जयंती पर राज्य शासन द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिसमें भाग लेने के लिये चयनित समाजसेवी को राज्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जावेगा, विशेष परिस्थितियों में ये अपनी सहायता के लिये केवल एक सहायक साथ में ला सकेंगे. जिसे यात्रा भत्ता देय नहीं होगा. समाज सेवी को रेल से यात्रा करने पर शासन के प्रथम श्रेणी स्तर के अधिकारी के समकक्ष यात्रा एवं भत्ता पाने की पात्रता होगी.

(2) **जिला स्तरीय पुरस्कार.**—पुरस्कार का जिला स्तरीय अलंकरण समारोह प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर अर्थात् गांधी जयंती पर जिला कलक्टर द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिसमें भाग लेने के लिये चयनित ग्राम पंचायत/समाजसेवी/स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया जावेगा, विशेष परिस्थितियों में ये अपनी सहायता के लिये केवल एक सहायक साथ में ला सकेंगे, जिसे यात्रा भत्ता देय नहीं होगा. समाज सेवी को रेल/बस में यात्रा करने के लिये प्रथम श्रेणी स्तर के अधिकारी के समकक्ष यात्रा एवं भत्ता पाने की पात्रता होगी.

10. **व्यय की प्रतिपूर्ति एवं वित्तीय शक्तियां.**—(1) **राज्य स्तरीय पुरस्कार.**—राज्य स्तरीय ''विवेकानन्द नशामुक्ति पुरस्कार'' एवं अलंकरण समारोह से संबधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति नशाबंदी योजना बजट से की जाएगी. व्यय के पूर्ण अधिकार आयुक्त, सामाजिक न्याय, मध्यप्रदेश को होंगे, इस हेतु राज्य शासन की औपचारिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी.

(2) **जिला स्तरीय पुरस्कार.**—जिला स्तरीय ''विवेकानन्द नशामुक्ति पुरस्कार'' एवं अलंकरण समारोह से संबधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति नशाबंदी योजना बजट से की जाएगी. व्यय के पूर्ण अधिकार संबंधित जिला कलक्टर को होंगे, इस हेतु राज्य शासन की औपचारिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी.

11. **अभिलेख का संधारण.**—(1) **राज्य स्तरीय पुरस्कार.**—आयुक्त, सामाजिक न्याय, मध्यप्रदेश, पुरस्कार के लिये प्राप्त प्रविष्टियों, का प्रतिवर्ष के समाज सेवियों का अलग-अलग जिल्द में रिकार्ड संधारित करेंगे. चयनित समाजसेवी के जीवन चरित्र, सेवा कार्य आदि के संबंध में एक स्मारिका प्रतिवर्ष जारी की जावेगी.

(2) **जिला स्तरीय पुरस्कार.**—जिला कलक्टर, प्रतिवर्ष के लिये प्राप्त पुरस्कार प्रविष्टियों का, चयनित ग्राम पंचायत/समाजसेवियों/ स्वैच्छिक संगठनों आदि का रिकार्ड एक अलग-अलग जिल्द में संधारित करेंगे. चयनित समाजसेवी के जीवन चरित्र, सेवा कार्य आदि के संबंध में एक स्मारिका प्रतिवर्ष जारी की जावेगी.

12. इन नियमों में अंतर्निहित प्रावधानों की व्याख्या के संबंध में कोई विवाद होने पर उसके निराकरण का अधिकार प्रमुख सचिव/ सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग को होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीणा तेलंग, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.